

फॉर्म-IX

क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र हेतु आवेदन पत्र
(बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ)
पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग

आवेदन पत्र संख्या.....

सेवा में,

.....

.....

महोदय,

मुझे बिहार लोक सेवा आयोग एवं अन्य राज्य सेवा में आरक्षण से सम्बन्धित पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए प्रमाणपत्र देने की कृपा की जाय ।

मेरे बारे में आवश्यक जानकारी निम्न प्रकार है :-

1. आवेदक/आवेदिका का नाम :-

2. जन्म तिथि :-

3. आवासीय पता :- (पूर्ण)

(क) स्थाई - वार्ड नं. - सर्किल नं. - हो. नं. -

ग्राम/मुहल्ला - पोस्ट -

थाना - प्रखण्ड- जिला -

(ख) अस्थायी - वार्ड नं. - सर्किल नं. - हो. नं. -

ग्राम/मुहल्ला - पोस्ट -

थाना - प्रखण्ड- जिला -

4. धर्म :-

5. जाति :-

6. उप-जाति :-

7. पेशा -

8. बिहार की सूची में पिछड़ी जाति/अत्यंत पिछड़ी जाति का क्रमांक सं. :-

9. पिता का नाम एवं जाति :-



10. माता का नाम :-

11. पति का नाम :-

12. अभिभावक / पिता / पति की स्थिति पिता माता पति

(क) (1) संवैधानिक पद

(2) पदनाम :-

(i) सरकारी सेवा (केन्द्र / राज्य) :-

(ii) पदनाम :-

(iii) वेतनमान :-

(iv) नियुक्ति की तिथि :-

(v) उच्च प्रथम श्रेणी में प्रोन्नति के समय (अगर लागू हो) :-

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय सेवा में नियोजित

जैसे -यूनिसेफ / यू. एन. / डब्लू. एच. ओ.

(1) संगठन का नाम :-

(2) पदनाम :-

(3) सेवा का नाम तिथि..... से..... तक ।

(ग) निजी क्षेत्र में नियोजित के लिए :-

(1) संगठन / फर्म का नाम :-

(2) पदनाम :-

(3) नियुक्ति की तिथि :-

(घ) आर्मस फोर्स / कारा मिलिट्री के लिए :-

(1) पदनाम :-

(2) वेतनमान :-

(ङ) व्यवसायों के लिए :- पिता माता पत्नी

(1) पेशा :-

(च) सम्पत्ति का विवरण :-

पिता / माता / आवश्यक बच्चों का नाम :-

(1) पता :-

(2) क्षेत्रफल :-

(3) (क) असिंचित :-

(ख) सिंचित :-

(4) सिंचित जमीन का प्रतिशत :-

(बिहार सरकार के सिंचित कानून के अन्तर्गत)

(विवरण अंचलाधिकारी से सत्यापित होना चाहिए)

(5) कुल सिंचित/असिंचित जमीन :-

(छ) प्लांटेशन :-

(1) फसल/फल :-

(2) पता :-

(3) क्षेत्रफल :-

(ज) परती जमीन/भवन (शहरी क्षेत्र के लिए)

(1) सम्पत्ति का स्थान :-

(2) सम्पत्ति का विवरण :-

(3) सम्पत्ति का क्या इस्तेमाल होता है :-

(झ) आय :-

(1) वार्षिक आय (नौकरी, पेंशन, व्यवसाय या कृषि से आय)

(2) क्या कर भुगतान करते हैं ? (अगर हाँ तो विगत तीन वर्षों का रिटर्न की प्रति प्रस्तुत करें) ;

(3) क्या सम्पत्ति कर के अन्तर्गत हैं ? (अगर हाँ तो पूर्ण विवरण दें)

(ट) कुछ अन्य बातें :-

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में सत्य हैं और पूर्ण विश्वास है कि मैं क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं हूँ और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सक्षम हूँ । अगर कोई सूचना गलत पायी गयी तो मेरा नियोजन रद्द किया जा सकता है या कानून के नियम के अन्तर्गत कार्रवाई की जा सकती है ।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर ।